

The Gazette of India

•••••••••

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2285]
 नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2010/कार्त्तिक 11, 1932

 No. 2285]
 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2010/KARTIKA 11, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

का.आ. 2704(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [377.600 कि.मी. से 651.500 कि.मी. (कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश राज्य सरकार ।"	
	सीमा) को छोड़कर] राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 [10.20 कि.मी. से 314.00 कि.मी. (जबलपुर		
	भोपाल) और ब्यावरा-मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा सेक्शन (ब्यवरा-राजगढ़ से मध्य प्रदेश/		
	राजस्थान सीमा) 140.00 कि.मी. से 67.20 कि.मी. को छोड़ कर] राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या		
	26क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75, [मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-		
	छतरपुर-बमीठा (झांसी-नौगांव सेक्शन के 83.40 कि.मी. से 108.00 कि.मी. और नौगांव-		
	सतना सेक्शन के 0.000 कि.मी. से 57.20 कि.मी. तक) को छोड़कर] राष्ट्रीय राजमार्ग		
	सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.00 कि.मी. तक (मध्यप्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी)		
	को छोड़कर] और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है ।		

[फा. सं. एनएच-14013/6/2010-पी एण्ड एम]

एस.एस. गुलिया, निदेशक

टिप्पण :— मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2189(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2010

S.O. 2704(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the enties relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :----

"13	So much of National Highway No. 7 [excluding from Km. 377.600 to Km. 651.500 (Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra border)],	State Government of Madhya Pradesh."
	National Highway No. 12 [excluding from Km. 10.20 to Km. 314.00	
	(Jabalpur-Bhopal) and from K.m. 1.40 to Km. 67.20 of Biaora-MP/	
	Rajasthan Border section (Biaora-Rajgarh to Madhya Pradesh/	
	Rajasthan Border)], National Highway No. 26A, National Highway	
	No. 27, National Highway No. 75 [excluding from MP/UP Border-	
	Chhatarpur-Bamitha (from Km. 83.40 to 108.00 of Jhansi-	
	Nowgaon section and from Km. 0.00 to Km. 57.20 of Nowgaon-Satna	
	Section)], National Highway No.76 [excluding from Km. 0.000	
	to Km 30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan border to Shivpuri)] and	
	National Highway No. 92 as are situated within the State of Madhya	
	Pradesh.	

[F. No. NH-14013/6/2010-P & M]

S. S. GULIA, Director

Note :---The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2189(E), dated the 7th September, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

10